दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारी सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 द्वारा शासित होते हैं। पेंशन के लाभ, कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय लागू सीसीएस (पेंशन) नियमावली के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किए जाते हैं।

सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 **विवरण के लिए क्लिक करें: www.pensionersportal.gov.in**

सेवानिवृत्ति लाभों का संक्षेप

सेवानिवृत्ति के समय, सेवानिवृत्त व्यक्तियों को निम्नलिखित सेवानिवृत्ति लाभ देय हैं:

1. सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, जो कूल सेवाकाल पर आधारित होती है और निम्नवत देय है:- (मूल वेतन + ग्रेड वेतन + महंगाई भत्ता, स्वीकार्य) X अर्हक सेवाकाल का आधा (आधे वर्ष)
   उन कर्मचारियों के लिए लागू जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा प्रदान की। यह अधिकतम 10.00 लाख रूपए के अध्यधीन है।

   (ख) सेवा ग्रेचयुटी (उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने 5 वर्ष से अधिक किंतु 10 वर्ष से कम सेवा प्रदान की): (मूल वेतन + ग्रेड वेतन + महंगाई भत्ता, स्वीकार्य) *1/4* अर्हक सेवा (आधा वर्ष) अधिकतम 10.00 लाख रूपए के अध्यधीन।

2. सेवानिवृत्ति द्वारा चुने गए पेंशन के भाग पर आधारित पेंशन का कम्यूटेशन (मूल पेंशन के अधिकतम 40% तक) कम्यूटेशन के लिए विकल्पित पेंशन X कम्यूटेशन कारक X 12.
3. मूल वेतन के 50 % देय मूल पेंशन + ग्रेड वेतन (यदि अधिकतम सेवाकाल 10 वर्ष का है।)
4. सेवानिवृत्ति के समय सेवानिवृत्ति के क्रेडिट पर शेष अर्जित अवकाश पर आधारित छुट्टी नकदीकरण (अधिकतम 300 दिन) (मूल वेतन + ग्रेड वेतन + महंगाई भत्ता, यथा स्वीकार्य) X अर्जित अवकाश के दिनों की संख्या/ क्रेडिट में 30.

5. देय जी.पी.एफ., जो सेवानिवृत्ति के क्रेडिट पर हैं + इस पर ब्याज।

6. मृत्यु ग्रेच्युटी, सेवारत कर्मचारियों की मृत्यु के मामले में (मूल वेतन + ग्रेड वेतन + महंगाई भत्ता, यथा स्वीकार्य) X अर्हक सेवा (आधे वर्ष)

(क)	अर्हक सेवा, एक वर्ष से कम	2 गुणा परिलब्धियां
(ख)	अर्हक सेवा, 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम	6 गुणा परिलब्धियां
(ग)	अर्हक सेवा, 5 वर्ष से अधिक किंतु 20 वर्ष से कम	12 गुणा परिलब्धियां
(घ)	अर्हक सेवा, 20 वर्ष से अधिक	प्रत्येक 6 माह के लिए ½ परिलब्धियां

परिवार पेंशन

सेवारत के साथ-साथ सेवानिवृत्त कार्मिकों की मृत्यु के मामले में परिवार पेंशन निम्नानुसार देय है:-

कर्मचारी की मृत्यु के समय मूल वेतन के 30% पर देय परिवार पेंशन। तथापि, सेवारत कर्मचारी की मृत्यु के मामले में यह 10 वर्ष तक और सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु के मामले में 7 वर्ष तक अथवा 67 वर्ष की उम्र होने तक, जो भी पहले हो, संवर्धित दर (मूल वेतन के 50%) पर देय है।

1. **परिवार पेंशन की सामान्य दर-** मासिक पेंशन सेवानिवृत्ति की तारीख को आहरित "वेतन" पर आधारित होती है, जैसाकि मामला हो, और यह अधिकतम 3500 रूपए प्रतिमाह के अध्यधीन अंतिम आहरित वेतन के 30% की एकसमान दर से स्वीकार्य होती है।

2. **परिवार पेंशन से उच्चतर दर-** परिवार पेंशन की उच्चतर दर स्वीकार्य होती है, यदि मृत कर्मचारी की निरंतर सेवावधि 7 वर्ष से कम है। यह मृत्यु की तारीख से अगली तारीख से देय होती है। परिवार पेंशन आश्रित माता-पिता को स्वीकार्य नहीं है और वे केवल सामान्य दर के लिए ही पात्र होते हैं।

ये दरें हैं:-

(क) सेवाकाल में मृत्यु के मामले में:

(सरकारी सेवक की मृत्यु की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए, बिना किसी ऊपरी आयु सीमा, सरकारी सेवक के परिवार को देय)
परिवार पेंशन की सामान्य दर का डेढ गुणा यदि डब्ल्यूसी अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति का भुगतान भी किया जाता है; और अन्य मामलों में अंतिम आहरित 'वेतन' का पचास प्रतिशत

(ख) सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु के मामले में:
(7 वर्ष की अवधि तक अथवा उस तारीख तक जब जीवित रहने पर उसकी आयु 67 वर्ष हो जाती, जो भी कम हो)

सेवानिवृत्ति के समय आहरित 'वेतन' का पचास प्रतिशत;

अथवा

सेवानिवृत्ति पर अधिकृत पेंशन की राशि, जो भी कम हो।